

राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 321 / 2022


जीसीएमएस नम्बर :- 2022 / 837


1. मानसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. नेहरू ममोरियाल चिल्ड्रेन संस्थान गाडाखेड़ा जरिये सचिव मानसिंह पुत्र कुरडाराम जाति निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....वादीगण

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र श्री नोपाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. मिरसिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. विमला पुत्री नोपाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. मीना पुत्री सत्यवीर सिंह जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. गजराज पुत्र सत्यवीर सिंह जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
6. जयवीर पुत्र सत्यवीर सिंह जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. अनिल पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. जानकी पत्नी धर्मचन्द जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
9. दीपक पुत्र सुरेश जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
10. भतेरी पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
11. भागोती पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
12. मातुराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
13. रामेश्वरी देवी पत्नी मातुराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
14. सन्जीव पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
15. सुनिता पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
16. सुनील कुमार पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
17. सरजीत पुत्र धर्मचन्द जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
18. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा जरिए शाखा प्रबन्धक
19. बैंक ऑफ बडोदा शाखा बनवास जरिए शाखा प्रबन्धक
20. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.
21. मोनिका पत्नी नीर ओला जाति जाट निवासी गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0




उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

22. कविता पत्नी सरवर जाति जाट निवासी गाडाखेडा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
23. सुमन पुत्री मीरसिंह जाति जाट निवासी गाडाखेडा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0

दावा बाबत:- खाता विभाजन

प्रतिवादीगण

-निर्णय:-

दिनांक:-


(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम गाडाखेडा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 3.92 हैक्टर, ख0 न0 298 रकबा 1.83 है0, ख0 न0 417 रकबा 2.36 है0, ख0 न0 418 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 419 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 420 रकबा 0.03 है0, ख0 न0 421 रकबा 4.40 है0, किता 7 रकबा 12.60 हैक्टर में वादी सं0 1 का 1/50 हिस्सा वादी सं0 2 का 59/1575 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 का 2969/3150 हिस्सा हैं जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 अपना अपना दर्ज हिस्सा अनुसार बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज कास्त हैं।
2. यह कि वाद वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादीगण द्वारा अपना हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करने, सीमाएं कायम करने, ऋण आदि लेने में काफी हक तलफी/परेशानी वादीगण को हो रही है जिस कारण वादीगण अपनी भूमि में सुधार कार्य नहीं कर पाते हैं जिससे ऐसी वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि में मोहरी देवी पत्नी नोपाराम की मृत्यु हो चुकी है उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 पूर्व से दर्ज रिकार्ड खातेदार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 7, 11, 12, 13, 16 ने प्रतिवादी संख्या 18 से व प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10, 14, 17 ने प्रतिवादी संख्या 19 से ऋण ले रखा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 18 व 19 को पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 20 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क) कि वाके ग्राम गाडाखेडा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 3.92 हैक्टर, ख0 न0 298 रकबा 1.83 है0, ख0 न0 417 रकबा 2.36 है0, ख0 न0 418 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 419 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 420 रकबा 0.03 है0, ख0 न0 421 रकबा 4.40 है0, किता 7 रकबा 12.60 हैक्टर में वादी सं0 1 का 1/50 हिस्सा वादी सं0 2 का 59/1575 हिस्सा का अलग-अलग विभाजित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 3 की और से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट द्वारा वकालतानामा व



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनू (राज0)

जवाब दावा भय प्रतिवादा दिनांक 15.05.2024 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण की बावजूद लागू होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में दिनांक 30.07.2024 को लाई गई।

प्रतिवादा निम्न प्रकार रहा कि :-

1. यह कि वाके ग्राम गांजाखेड़ा स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 128 के ख0 न0 297 रकबा 3.92 है0, ख0 न0 298 रकबा 1.83 है0, ख0 न0 417 रकबा 2.36 है0, ख0 न0 418 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 419 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 420 रकबा 0.03 है0, ख0 न0 421 रकबा 4.40 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 12.60 है0, में प्रतिदावाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 3 व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 व 21 लगायत 23 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है इसमें प्रतिदावाकर्ता/प्रतिवादी सं0 3 का 11/504 हिस्सा प्रतिवादी सं0 23 का 11/504 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का है तथा इसी अनुसार मौके पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज कारस्त है।
2. यह कि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 के हक में हकत्याग कर दिया जिसका नामान्तरण प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में दर्ज हो चुका है प्रतिवादी सं0 3 ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा प्रतिवादी सं0 22 व 23 को बेचान कर दिया है जिसका विक्रय की गई भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के नाम दर्ज हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपना हिस्सा 1/10 हिस्सा अपनी पुत्री प्रतिवादी सं0 21 को बेचान कर दिया है प्रतिवादी सं0 1 फौत हो चुका है उसने अपने जीवनकाल में ही 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 के हक में हकत्याग कर चुका है।
3. यह कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 की माता तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की दादी मोहरली पत्नी नोपाराम का देहान्त दिनांक 02.12.2009 को हो चुका है जिसके विधिक वारीसान संख्या 2 लगायत 6 हैं जिसमें मोहरली के हिस्से में 1/60 हिस्सा जिसमें 0.21 है0, हिस्सा बनता है जिसमें प्रतिदावाकर्ता/प्रतिवादी सं0 3 का 1/3 हिस्से में 0.07 है0, भूमि विरासत में आती है जिसकी घोषणा करवाने की प्रतिदावाकर्ता/प्रतिवादी सं0 3 अधिकारी हैं इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 का 23/315 व 1/180 हिस्सा इस वाद वर्णित भूमि में है जिसके विभाजन हेतु उक्त प्रतिदावाकर्ता प्रस्तुत किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 03 ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर अपने हिस्से का खाता विभाजन चाहा है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। अतः न्यायाल वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 03 बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 359 दिनांक 21.08.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 727 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त


उपखण्ड अधिकारी बुहाना

हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया। किररी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार, शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्र प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम गाडाखेड़ा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 128, में वादीगण व प्रतिवादी सं. 03 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—:आदेश:—

“ न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 128 के ख0 न0 297 रकबा 3.92 है0, ख0 न0 298 रकबा 1.83 है0, ख0 न0 417 रकबा 2.36 है0, ख0 न0 418 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 419 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 420 रकबा 0.03 है0, ख0 न0 421 रकबा 4.40 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 12.60 है0, भाग में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”



(समान देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (स.प.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक ----- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(समान देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (स.प.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी-
राजस्व वाद सं.- 321/2022सुमन देवी II. आर.ए.एस.
जीसीएमएस नम्बर :- 2022/837

मानसिंह बनाम प्रताप आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एड. की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गाडाखेड़ा स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 128 के ख0 न0 297 रकबा 3.92 है0, ख0 न0 298 रकबा 1.83 है0, ख0 न0 417 रकबा 2.36 है0, ख0 न0 418 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 419 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 420 रकबा 0.03 है0, ख0 न0 421 रकबा 4.40 है0, कुल कित्ता 7 कुल रकबा 12.60 है0, भाग में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी है। "

यह आज तारीख ----- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
न्यायालय अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

